कार्यवृत्त

दिनांक 16.02.2017 को कलक्ट्रेट सभागार एटा में सभी स्थानीय निकाय की आयोजित बैठक का कार्यवृत्तः

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

1. श्री सतीश पाल, अपर जिलाधिकारी (प्र0) एटा।
2. श्री महेश चन्द्र शर्मा, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) एटा।
3. श्री रवि प्रकाश, उपजिलाधिकारी एटा।
4. श्री सुभाषवीर सिंह राजपूत, परियोजनाधिकारी एटा।
5. श्री काशीनाथ पाण्डेय, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद अलीगंज/नगर पंचायत अवागढ़/जैथरा एटा।
6. श्री अनिल भाष्कर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मारहरा/नगर पंचायत सकीट/निधौलीकलॉ एटा।
7. श्री सोबरन सिंह, कर अधीक्षक नगर पालिका परिषद एटा।
8. मनोज गोस्वामी, बरिष्ठ लिपिक नगर पालिका जलेसर एटा।
9. श्री भीष्म सिंह, अधिशासी अभियंता नगर पालिका परिषद जलेसर/.मारहरा/अवागढ़/निधौलीकलॉ/एटा।
10. श्री सोवरन सिंह, जलकल प्रभारी, नगर पालिका परिषद एटा।
11. श्री चन्द्र पाल सिंह, बरिष्ठ लिपिक, नगर पालिका परिषद मारहरा एटा।
12. श्री वीरेन्द्र पाल सिंह, बरिष्ठ लिपिक, अवागढ़ एटा।
13. श्री नसीम शेख, लिपिक, नगर पंचायत निधौली कलॉ एटा।
14. श्री त्रिलोकीनाथ यादव, अधिशासी अभियंता, नगर पालिका अलीगंज एटा।
15. श्री रामौतार सिंह, लिपिक, नगर पंचायत सकीट एटा।
16. श्री संदीप कुमार, जिला सूचना अधिकारी एटा।
17. श्री होते लाल बरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कलक्ट्रेट एटा।
18. श्री महेश यादव स्थानीय निकाय लिपिक कलक्ट्रेट एटा।
19. श्रीमती अभिलाषा पाण्डेय स्थानीय निकाय लिपिक कलक्ट्रेट एटा।

उपरोक्त समस्त अधिशासी अधिकारी/अधिशासी अभियंता/लिपिक नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को बैठक के दौरान निम्नलिखित निर्देश दिये गये।

1. समस्त अधिशासी अधिकारी, वार्डवार सुपरवाइजर एवं सफाई कर्मचारियों को तैनात कराते हुये, वार्डवार गलियॉ आवंटित करेगें। सफाई कार्यों में लगे सभी वाहन सुबह 7:00 बजे तक क्षेत्र के लिये रवाना हो जाने चाहिये तथा कोई भी वाहन खराब न हो, यदि निकाय में वाहन खराब है तो उसको प्राथमिकता के आधार पर सही करा लिया जाय। सम्बन्धित उपजिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में क्षेत्रीय लेखपालों को लगाकर वार्ड आवंटित, माह में कम से कम दो बार सुबह 8:00 बजे से 12:00 बजे के बीच सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करायेगे।तथा दुकानदारों से कार्य स्थल पर की गयी सफाई व्यवस्था की पूछताछ भी लेखपाल करेगें। इस सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, सदर/अलीगंज/जलेसर अपने-अपने क्षेत्रों में चौपाल भी लगायेंगे।

(कार्यवाही समस्त अधिशासी अधिकारी/सम्बन्धित उपजिलाधिकारी)

2. समस्त अधिशासी अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि नाला, नालियों की सफाई हेतु नालियों में कूडा किसी भी दशा में न डाला जाये तथा नालियों में कूडा न डालने हेतु आम जन सामान्य को प्रेरित करें। निकायों के मुख्य चौराहों, बस स्टैण्ड तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर कूडा सडकों पर न

Lbc Gen

फैलाने पायें। नालियों से निकाले जाने बाली शिल्ट को उसी दिन उठाया जाय तथा एण्टी लार्वा कीटनाशक दवाईयों का समुचित मात्रा में छिडकाव कराया जाय।

(कार्यवाही समस्त अधिशासी अधिकारी)

3. समस्त अधिशासी अधिकारी एवं सफाई इन्चार्ज, बिशेष रूप से कूडा फैलाने वाले व कूडा डस्टवीन मे न डालने वाले व्यक्तियों को मौके पर ही चालान कर, जुर्माना बसूल करें, निकायों में सफाई बनाये रखने हेतु मुख्य चौराहों, बस स्टैण्ड, अस्पताल एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर बैनर/पोस्टर भी लगवाये जायें। जिनमें सडकों पर गन्दगी न फैलने, कूडा नालियों में न डालने तथा सडकों पर कूडा फैलने से होने वाली बीमारियों से बचने के लाभ से सम्बन्धित स्लोगन एवं अन्य प्रेरक वाक्यों को लिखवाया जो तथा कितने कूडादान है और कितने खराब है उसे राज्य वित्त अयोग अथवा अवस्थापना निधि से कय करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही समस्त अधिशासी अधिकारी)

4. सफाई कार्य में लगे सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति रेण्डमली चैक की जाय तथा जो सफाई कर्मचारी अनुपस्थित पाये जायें उनकी सेवा समाप्ति की कार्यवाही नियामानुसार की जाय। जिन निकायों में डम्पिंग ग्राउण्ड नहीं है उन निकायों के अधिशासी अधिकारी शहर से बाहर किसानों की सहमति अथवा भट्ठा स्वामियों से मिलकर भट्ठें की भूमि में कूडा निस्तारण करायें। यदि मुख्य मार्ग पर कूडा डाला जा रहा है तो अधिशासी अधिकारीयों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही समस्त अधिशासी अधिकारी)

5. सभी अधिशासी अधिकारी निकाय क्षेत्रान्तर्गत सभी हैण्ड टैंको की सफाई कराते हुये उन पर सफाई कराये जाने का दिनांक अंकित करांये, निकाय में स्थापित खराब समस्त ओवर हेड टैंकों, खराब ट्यूबेलों, हैण्डपम्पों एवं हाईमास्ट/एल0ई0डी0 लाइटों को प्राथमिकता के आधार पर 15 दिनों के अन्दर ठीक कराया जाना सुनिश्चित करें। सभी लाइनमैन यह सुनिश्चित कर लें कि निकाय क्षेत्रान्तर्गत किसी भी दशा में स्ट्रीट लाइटें जलती हुई न पायी जाय।

(कार्यवाही समस्त अधिशासी अधिकारी)

6. सभी निकायों/पंचायतों में स्वकर प्रणाली लागू कर, ग्रहकर/जलकर व अन्य देयों की बसूली सुनिश्चित किये जाने हेतु स्वकर प्रणाली को निकायों/पंचायतों में सुनिश्चित रूप से लागू करने के लिये एक कार्यशाला का आयोजन मुख्यालय पर किया जाय। जिसकी जानकारी के लिये डोर टू डोर जाकर भवन स्वामियों को उसकी जानकारी व उनके लाभ बताते हुये उन्हें प्रोत्साहन करते हुये उनकी जानकारी व उसके लाभ बताते हुये उन्हें प्रोत्साहित करते हुये उनका कर निर्धारण कर निकायों की बसूली में वृद्धि की जायेगी। नगर पालिका का लक्ष्य 3,56,00,000/-- बताया गया है इस हेतु समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को निर्देशित किया गया कि वह रीजनल सेन्ट्रल अरबन स्टडीज लखनऊ से सम्पर्क कर कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही समस्त अधिशासी अधिकारी)

7. सीवरेज योजना के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद एटा द्वारा बताया गया कि नगर पालिका परिषद एटा में सीवरेज की योजना की स्वीकृत हो गयी है। जिसके लिये धनराशि आवन्टित हो चुकी है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि इस योजना का चुनाव आचार संहिता की समाप्ति के उपरान्त योजना पर अग्रिम कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करायी जाय।

(कार्यवाही अधिशासी अधिकारी न0पा0प0एटा)

8. समस्त अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने नगर निकायो/नगर पंचायतों में स्थित गलियों तथा मरम्मत योग्य सड़कों का सर्वे करा लें तथा उसकी कार्ययोजना बनाकर सड़क सुधार योजना एवं आदर्श नगर योजना से धनराशि प्राप्त करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजें।

(कार्यवाही समस्त अधिशासी अधिकारी)

9. समस्त अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने निकायों में होने वाले विकास कार्यों की निविदाओं का विकय जिला स्तर पर भी कराया जाय, प्राप्त निविदाओं को अपर जिलाधिकरी (प्र0) के समक्ष खोला जाय एवं तुलनात्मक विवरण पर अपर जिलाधिकारी (प्र0) के हस्ताक्षर भी कराये जायें।

(कार्यवाही सम्बन्धित अपरजिलाधिकारी(प्र0)/समस्त अधिशासी अधिकारी)

10. समस्त अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि अपने–अपने निकायों/पंचायतों में सडकों के निर्माण में लगने वाले इण्टरलोकिंग टाइल्स एवं ईटों का सत्यापन पी0डब्ल्यू0डी0 अथवा बी0एच0यू0 लैब से कराया जाय।

(कार्यवाही समस्त अधिशासी अधिकारी)

11. समस्त निकायों में हो रहे निर्माण कार्यो की पत्रावलियों में तीन स्तरों का फोटोग्राफ लगाया जायेगा– कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, कार्य के दौरान तथा कार्य पूर्ण होने पर। सम्बन्धित उपजिलाधिकारी अपने निकाय से सम्बन्धित क्षेत्रों में हो रहे निर्माण कार्यो का निरीक्षण भी करेगें।

(कार्यवाही समस्त अधिशासी अधिकारी/सम्बन्धित उपजिलाधिकारी)

12. समस्त निकायों में हो रहे अतिकमण को रोकने के लिये अभियान चलाया जाय तथा उसकी फोटोग्राफी करायी जाय।

(कार्यवाही समस्त अधिशासी अधिकारी)

13. समस्त अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया जाता है अपने–अपने निकायों के सीमा विस्तार हेतु शासनादेशानुसार प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही समस्त अधिशासी अधिकारी)

14. समस्त अधिशासी अधिकारी को निर्देशित को निर्देशित किया जाता है अपने–अपने निकाय की सम्पत्ति रजिस्टर एवं निकाय से सम्बन्धित एक मानचित्र एक माह के अन्दर सर्वे कराकर बनवा लिया जाय तथा जनहित गारन्टी के लिये सूचनापट पर लगायी जाय।

(कार्यवाही समस्त अधिशासी अधिकारी)

15. समस्त अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत जागरूकता अभियान चलाया जाय। शौचालय निर्माण हेतु आवेदन पत्र आमंन्त्रित किये जायें। कम्यूनिटी टायलेट एवं शौचालय निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाय। गाईड लाइन के अनुसार समस्त कार्य कराया जाय। अधिशासी अधिकारी एवं सम्बन्धित कर्मचारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत से सम्पर्क करके आवेदन पत्र एवं फोटो अपलोड करने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करें। खुले में शौच कोई न करने पाये इसके लिये टीम गठित करके हतोत्साहित किया जाय तथा स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाया जाय।

(कार्यवाही समस्त अधिशासी अधिकारी)

16. समस्त अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि विगत चोदहवां वित्त अयोग एवं अवस्थापना निधि के अन्तर्गत जो भी कार्य कराये गये है, उसकी पूरी पत्रावली जिसमें खर्च की गयी धनराशि का पूर्ण विवरण एवं जो भी कार्य कराये गये है, उसकी संक्षिप्त टिप्पणी अंकित कर अपर जिलाधिकारी (प्र0) एटा के यहाँ प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही समस्त अधिशासी अधिकारी)

17. समस्त अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जो भी धनराशि भुगतान की गई है, भुगतान करने में कितना समय लगता है और किस–किस स्टेज से पत्रावली प्रस्तुत की जाती है । उसकी संक्षिप्त टिप्पणी अंकित कर अपर जिलाधिकारी(प्र0) एटा के यहाँ प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही समस्त अधिशासी अधिकारी/सम्बन्धित अपरजिलाधिकारी(प्र0))

18. समस्त अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सभी निकायों में एक सम्पत्ति रजिस्टर भी तैयार किया जायेगा जिसमें तालाब, पोखर, नजूल भूमि, भवन दुकान आदि को दर्ज किया जायेगा। यदि किसी पर अवैध कब्जा है तो सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उसको अवैध कब्जा मुक्त कराया जायेगा।

(कार्यवाही समस्त अधिशासी अधिकारी)

19. समस्त अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जो भी भुगतान कर्मचारियों/पेंशनरों/ठेकेदारों आदि को होने है, उनका भुगतान ई–ट्रान्जक्शन के माध्यम से ही किया जाना है जिसका बिल भी तैयार करेगें। किसी भी ठेकेदार की पत्रावली तैयार होने के बाद भुगतान में विलम्ब नहीं किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

(कार्यवाही समस्त अधिशासी अधिकारी)

बैठक के अन्त में समस्त अधिकारियों को निदेर्शित किया जाता है कि उक्त बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुये अनुपालन आख्या 15 दिन के अन्दर प्रत्येक दशा में स्थानीय निकाय सहायक के पटल पर उपलब्ध करायी जाय।

(विजय किरन आनन्द)
जिलाधिकारी,
एटा

<u>कार्यालय जिलाधिकारी, एटा</u>

संख्याः 141 /एल0बी0सी0–2017 दिनांक:06 मार्च 2017.

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः 1. प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय/अपर जिलाधिकारी (प्र0) को सूचनार्थ।
2. समस्त उप जिलाधिकारी/अपर उप जिलाधिकारी को सूचनार्थ।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी न0पा0परि0/न0पं0 जनपद एटा को इस आशय से कि वह उक्त कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या 15 दिन में प्रस्तुत करें।

जिलाधिकारी,
एटा

Lbc Gen 1354